UPBS120002862021

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)–
UP03335

मूलवाद सं० 230/2021

राजेश सिंह बनाम राजन सिंह आदि

22.06.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र कागज सं० 6 ग२ पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित आराजियात वर्णित सम्पत्ति सूची 'क', 'ख' एवं 'ग' प्रदर्शित वादपत्र के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादी द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 10 ग 1 द्वारा नकल वसीयतनामा कागज सं० 11 ग 1/1 लगायत 11 ग 1/6, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र कागज सं० 12 ग 1, प्रतिलिपि खतौनी कागज सं० 13 ग 1/1 लगायत 13 ग 1/3, दाखिल किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वसीयतनामा की मंसूखी एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग२ दिनांक–06.07.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8 ग२

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 8 ग 2 प्रतिवादीगण पर नोटिस का तामीला जरिए विशेष वाहक कराये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।